(36)

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

# माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, भोपाल

निग 2809 – IV-16

जोरावर आ. भारत
निवासी– ग्राम रफीकगंज,
तहसील व जिला सीहोर ........................ आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन न्यायालय
श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, सीहोर ........................ अनावेदक

**पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीहोर के प्र0क्र0 12/स्व.निगरानी/15–16 म0प्र0 शासन वि0 जोरावर में पारित आदेश दिनांक 04.06.16 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत है**

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1. यह कि पुनरीक्षण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा माननीय अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीहोर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनको ग्राम रफीकगंज, तहसील सीहोर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 215/1/2, 396 रकबा 0.599, 0.809 हे. कुल रकबा 1.408 हेक्टेयर भूमि का पट्टा शासन द्वारा वर्ष 1977–78 में प्राप्त हुआ था। उक्त भूमि पर अहस्तांतरणीय प्रविष्टी अंकित है। आवेदक उक्त भूमि को विक्रय करना चाहते है। म.प्र. राजपत्र दिनांक 21.08.15 के अध्यादेश द्वारा म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 165/7–ख में संशोधन अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत राशि जमा कराकर अहस्तांतरणीय प्रविष्टी हटाने का अनुरोध किया माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीहोर द्वारा प्र0क्र0 94/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 01.02.16 द्वारा जमा कराकर प्रश्नाधीन भूमि के खसरे से अस्तांतरणीय प्रविष्टी विलोपित करने के आदेश दिये गये।

2. यह कि माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 50 के अंतर्गत प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज किया जाकर समक्ष सुनवायी करते हुये माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2809–दो/2016 जिला सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02–06–2017 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 12/स्व0निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04–6–2016 के विरूद्ध इस इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 01–2–2016 के द्वारा आवेदक जोरावर को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत विकय की अनुमति दी है जबकि म0प्र0 राजपत्र कमांक 336 दिनांक 21–8–15 को दिया गया प्रावधान राजपत्र दिनांक 31–12–15 से निरसित किया जा चुका था। इसके पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी ने अहस्तांतरणीय प्रविष्टि विलोपित करने के आदेश दिये। इसी कारण अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर किये आदेश को निरस्त किया गया है। अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0 एस0 अली)<br>सदस्य | |